स्पीडपोस्ट/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सं0-27011/51/2014-आरएण्डडबल्यू
भारत सरकार गृह मंत्रालय,
पुलिस-प्प डिविजन
पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय
*****

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-01
दिनॉक जुलाई, 2014
14 JUL 2014

सेवा में,

श्री संजय कुमार,, भूतपूर्व हवलदार
मुहल्ला-गॉधी नगर, वार्ड न0 9,
एस0डी0ओ0 निवास, बिक्रमगंज-802212,
जिला-रोहतास, बिहार

विषय : **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र**

कृपया अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2014-आरटीआई दिनॉक 04/07/2014 का अवलोकन करें जिसके माध्यम् से आपके पत्र दिनॉक शून्य को अग्रेसित किया गया है जो सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत् करवाया जाता है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है:-

- प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आश्रितों को, लडकियों के लिए रू2250/-प्रतिमाह और लडकों के लिए रू 2000/- प्रतिमाह की दर से उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृति दी जा रही है।
- बल के कर्मिकों एवं उनके परिवारों को वाछिंत जगहों पर सस्ती दरों पर व्यापाक रेंज और विविध प्रकार की उपभोक्ता वस्तुए मुहैया कराने के लिए 18/09/2006 को एक केन्द्रीय पुलिस कैंटीन की स्थापना की गई है।
- निःशक्त कार्मिकों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु दिनॉक 17/05/2007 को एक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (WARB) की स्थापना की गई है। पूरे भारत वर्ष में 06-केन्द्रीय कल्याण अधिकारी, 29-राज्य कल्याण अधिकारी और 137-जिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के स्थान पर की गई है, जिनसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी याजनाओं की जानकारी के लिए सर्म्पक स्थापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु WARB की वैबसाईट http://warb-mha.nic.in देखी जा सकती है।
- इसके अलावा यदि बल के कर्मियों की मृत्यु सक्रिय डयूटी के दौरान हुई है तो उदारीकृत पेंशन अवार्ड दिया जाता है जो अन्तिम आहरित वेतन के बराबर है और अन्य मामलों में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।
- सरकारी अनुदेशों के अनुसार डयूटी के दौरान मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार अनुग्रह मुआवजा रू 10 लाख अथवा 15 लाख दिया जा रहा है।
- ग्रुप ग एवं घ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत् का आरक्षण भी है।
- भूतपूर्व कार्मिक, पूरे भारत वर्ष में जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) की सुविधा उपलब्ध है, के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकते है। जहॉ पर यह सुविधा उपलब्ध नही है, वहॉ भूतपूर्व कार्मिक पेंशन के साथ साथ रू 300/-प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर सकते है।

लगातार-2

14 JUL 2014

3. उपरोक्त पर विस्तृत जानकारी हेतु Ministry of Home Affairs की website- http://mha.nic.in तथा अनुकम्पा के आधार पर भर्ती के सम्बन्ध में Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions की website- http://persmin.nic.in भी देखी जा सकती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बलों की अपनी कल्याण योजनाएँ और निधियाँ भी है जो जवानों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बल के स्तर पर बनाई गई है इनकी विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित बल की वैबसाईट देखी जा सकती है।

4. राज्यों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों में नियुक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते है।

5. उपरोक्त के सम्बन्ध में अपील करने की दशा में श्री निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-II), गृह मंत्रालय, कमरा न0 171-बी, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-01, अपीलेट अधिकारी है।

भवदीय,

जी0 सी0 यादव

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1	श्री एस0 सामंत, अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय।	- को कार्यालय ज्ञापन दिनॉक 04/07/2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2	अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय	गृह मंत्रालय की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

जी0 सी0 यादव

(जी0 सी0 यादव)
उपसचिव (पीएमए) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

4484/RTI/MHA/2014
30/6/14

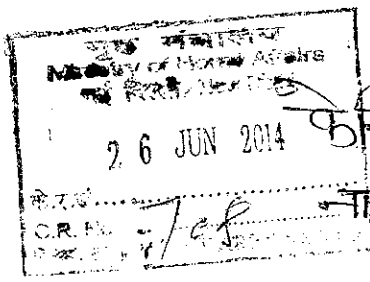

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
26 JUN 2014
C.R. No. 7/C.R.

केन्द्रिय गृह सचिव
नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली

लोक सूचना पदाधिकारी

- विषय :- अधिनियम 2005 आर. टी. आई भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कर्मिको को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार था बल द्वारा मिलने वाली सहयता / छुट संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु

महोदय

Dir (Pers)
(Pers-I)

सविनय नम्र निवेदन इस प्रकार से है कि भूतपूर्व. सी.आ. हवलदार बल संख्या. 88140506 / पी पी ओ न 23903091-0832-1 संजय कुमार का अर्ज प्रकार से है बल मे भूतपूर्व कार्मिक को केन्द्र सरकार / राज्य सरकार था बल द्वारा भिन्न भिन्न तरह की बहुत सी, रियात / छुट, कल्याण, संबंधी सम हित है लेकिन इस तथ्य, विषयो कि जानकारी नही दी जाती है इसका उपयोग को अज्ञान्ता बानी रहती है जिसका नतीजा भूतपूर्व कर्मिक अनजान बेसहारा होकर उपीडित होते रहते है

(1) बच्चो के पढ़ाई के लिये / स्कूल, कॉलेज, के लिये चिह्नित राशी को प्रबंध क्या है
(2) मेडिकल, इलाज हेतू चिह्नित, राशी,
(3) पुनरोजगार हेतू प्रबंध
(4) पुनर्वास हेतू प्रबंध क्या है

— राज्य सरकार भूतपूर्व कार्मिको के लिये क्या क्या कल्याण, प्रबंध छुट रियात की अभियोजन किया गया। और (1) बच्चो की पढ़ाई संबंधी
(2) मेडिकल इलाज
(3) रोजगार, ठेकेदार भागीदारी की
(4) [illegible]

(5) किसी लाईसेंस या पंजीकृत हेतु

— बक्सा मे भूतपूर्व कर्मिक को - क्या - क्या कल्याणकारी, स्थित कृत हैं।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है भूतपूर्व प्रार्थी की सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर मद्दे नजर रखते हुये, स्पष्ट, एवं पारदर्शी, सूचना देने हेतु कृपा प्रदान करें

→ बक्सा मे अशान्ति का उलझन बना रहता है जिसको दबा दिया जाता है या प्राप्ति नहीं किया जाता जिसका लाभ नहीं मिल पाता है

संलग्न I.P.O - RS.10
NO - 28F - 360214

Sanjay Kumar
भावक

भूतपूर्व आॅ० हवलदार
पी०पी०ओ० नं० 2390-309-0832-1
ब० सं- 8811405O6
मुहल्ला - गांधी नगर
वार्ड नं० 9 S.D.O. निवास
बिक्रमगंज - 802212
जिला - रोहतास
बिहार